राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2135/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
अजीत सिंह डी&3 नवलखा अपार्टमेंट] भारत माता पथ] सी-स्कीम] जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस मुख्यालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रामेश्वर लाल, पुलिस उप निरीक्षक एवं राजेन्द्र लाल, एएसआई उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-08-2017 के द्वारा दुर्घटना थाना के संबंध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने यह आवेदन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर को किया था जो अन्तरण होकर प्राप्त होने पर अपीलार्थी को वांछित सूचना के बाबत पत्र दिनांक 13-09-2017 से 42 रूपये की मांग की गई। पत्र दिनांक 17-10-2017 से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करादी गई। जो उसके पुत्र ने प्राप्त की है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया गया। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 26-10-2017 से सूचना अपीलार्थी को प्रदत्त मानी जाकर अपील खारिज की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 10-05-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ अपीलार्थी को प्रेषित 21 पृष्ठ का अभिलेख की प्रति संलग्न की गई है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 26-10-2017 संलग्न है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने

के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त